Daily
CURRENT
AFFAIRS
IAS/PCS
08 March
अब होगी करंट अफेयर्स की राह आसान
दैनिक जागरण
The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE
दैनिक भास्कर
THE HINDU
जनसत्ता
Result Mitra
Access Denied
NEWS
FIND
Social Network
Inbox
finance
innovation
money
exchange
rates
currency
business
plan
investition

Quote of the Day

Result Mitra

ज़िंदगी की तपिश को
सहन कीजिए
अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं,
जिनकी परवरिश छाया में होती हैं।

दिव्यांगों के अधिकार
मौलिक अधिकार

UPSC Syllabus Relavanace

- UPSC Mains Paper 2

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

- सर्वोच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी।
- दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगता-आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

Result Mitra
RESULT MITRA

दिव्यांगजनों के न्यायिक सेवा में अधिकारों को लेकर प्रमुख बिंदु

भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त करना

- मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा नियम, 1994 और राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 की समीक्षा के बाद संशोधन किया गया।
- मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 1994 के नियम 6A को रद्द किया गया, जिससे दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

दिव्यांगजनों के न्यायिक सेवा में अधिकारों को लेकर प्रमुख बिंदु

समानता और संवैधानिक अधिकारों की मान्यता

- दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर करना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव के निषेध) का उल्लंघन है।
- दिव्यांगजनों को न्यायिक सेवा में अवसर प्रदान करना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को सशक्त करता है।

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

Result Mitra
RESULT MITRA

दिव्यांगजनों के न्यायिक सेवा में अधिकारों को लेकर प्रमुख बिंदु

सकारात्मक कार्रवाई और सुविधाएँ

- परोपकार-आधारित दृष्टिकोण की बजाय अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- UNCRPD और RPwD अधिनियम, 2016 के अनुसार, दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त सुविधाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश।
- दिव्यांगजनों को आरक्षण में छूट देने की अनुमति दी गई, जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए दी जाती है।

DAILY CURRENT AFFAIRS

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

Result Mitra
RESULT MITRA

दिव्यांगजनों से जुड़े प्रमुख न्यायिक निर्णय

- सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन (2009): मानसिक रूप से मंद महिला के प्रजनन अधिकारों को बरकरार रखा गया।
- भारत सरकार बनाम रवि प्रकाश गुप्ता (2010): दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता।
- भारत संघ बनाम राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (2013): 3% आरक्षण पूरे कैडर में लागू होगा, केवल चिन्हित पदों पर नहीं।

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

Result Mitra
RESULT MITRA

दिव्यांगजनों से जुड़े प्रमुख न्यायिक निर्णय

- **डीफ कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ (2013):** श्रवण बाधित सरकारी कर्मचारियों को समान परिवहन भत्ता देने का निर्देश।
- **ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (2024):** कार्यात्मक मूल्यांकन को पात्रता मानदंडों से अधिक महत्व देने का निर्देश।
- **ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (2024):** कार्यात्मक मूल्यांकन को पात्रता मानदंडों से अधिक महत्व देने का निर्देश।

DAILY CURRENT AFFAIRS

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

भारत में दिव्यांगजनों की स्थिति

- **2011 की जनगणना:** कुल जनसंख्या का 2.21% (2.68 करोड़) दिव्यांगजन।
- **RPwD अधिनियम, 2016:** 21 मान्यता प्राप्त दिव्यांगता प्रकार, जैसे दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता, आदि।

DAILY CURRENT AFFAIRS

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

Result Mitra
RESULT MITRA

दिव्यांगजनों के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **मौलिक अधिकार:** अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21।
- **DPSP:** अनुच्छेद 41 – बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता में सार्वजनिक सहायता।

पंचायती राज और नगरपालिका ज़िम्मेदारियाँ:

- **11वीं अनुसूची:** सामाजिक कल्याण (अनुच्छेद 243-G, प्रविष्टि 26)।
- **12वीं अनुसूची:** दिव्यांगजनों की सुरक्षा (अनुच्छेद 243-W, प्रविष्टि 9)।

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

Result Mitra
RESULT MITRA

दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़े प्रमुख कानून

- **RPwD अधिनियम, 2016:** समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- **राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999:** ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के लिए।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा।

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

Result Mitra
RESULT MITRA

भारत में दिव्यांगजनों के सामने चुनौतियाँ

सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ

- रोजगार, शिक्षा और आय के अवसरों में असमानता।
- पूर्वाग्रह, भेदभाव और रूढ़िवादिता से सामाजिक एकीकरण में बाधा।

भौतिक और संचार बाधाएँ

- परिवहन प्रणालियों में दिव्यांगजनों के लिए दुर्गमता।
- श्रवण व भाषाई बाधाओं के कारण प्रभावी संचार में कठिनाई।

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

Result Mitra
RESULT MITRA

भारत में दिव्यांगजनों के सामने चुनौतियाँ

नीतिगत और कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ

- सार्वजनिक सेवाओं तक सुलभता की कमी।
- दिव्यांग महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा में दोहरा भेदभाव।
- 69% दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ सहायक तकनीकों की सीमित उपलब्धता है।

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

Result Mitra
RESULT MITRA

भारत सरकार की पहल

- **PM-DAKSH योजना** – दिव्यांगजनों के कौशल विकास और पुनर्वास के लिए।
- **सुगम्य भारत अभियान** – सार्वजनिक स्थलों को दिव्यांगजन-अनुकूल बनाने हेतु।
- **दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना** – दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए।
- **राष्ट्रीय फैलोशिप योजना** – दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता।

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

Result Mitra
RESULT MITRA

आगे की राह

सशक्तिकरण और नीतिगत सुधार

- सुलभ सेवाओं का विस्तार: दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सेवाओं और गतिविधियों का समावेश।
- सहायक उपकरणों में निवेश: व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और सफेद छड़ी जैसी तकनीकों को बढ़ावा।
- मानव संसाधन विकास: भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) को प्रशिक्षण और सेवाओं में सुधार लाने की ज़रूरत।

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

Result Mitra
RESULT MITRA

आगे की राह

अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण से सीख

- जापान के डॉन कैफे में दिव्यांगजन दूरस्थ रूप से रोबोट वेटर संचालित करते हैं, जिससे समावेशी रोजगार के अवसर मिलते हैं।
- भारत को भी इसी तरह की रोजगार नीतियाँ अपनानी चाहिए।

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

Result Mitra
RESULT MITRA

आगे की राह

सामाजिक जागरूकता और समावेशन

- दिव्यांगजनों के प्रति धारणा सुधार: सामाजिक और मानसिक अवरोधों को दूर करने हेतु जागरूकता अभियान।
- शिक्षा में समावेशिता: दिव्यांगजनों के लिए विशेष भाषा कौशल विकसित करने की पहल।
- बेहतर डेटा संग्रह: आयु, लिंग और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर विस्तृत आँकड़े एकत्र करने की आवश्यकता।

दिव्यागों के अधिकार मौलिक अधिकार

निष्कर्ष

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत को सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने, सहायक प्रौद्योगिकी में निवेश करने और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए।

Result Mitra

प्रश्न: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

2. दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के तहत भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है।

3. संविधान के अनुच्छेद 15 में दिव्यांगजनों को विशेष अवसर प्रदान करने का स्पष्ट उल्लेख है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

Result Mitra

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस :- नारी शक्ति नए भारत की पथ प्रदर्शक

UPSC Syllabus Relavanace

- UPSC Mains Paper 2

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day - IWD) हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ-साथ लैंगिक समानता की दिशा में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

इतिहास और महत्व

- 1909: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत अमेरिका में हुई, जब न्यूयॉर्क में महिलाओं ने समान वेतन और बेहतर कार्य परिस्थितियों की माँग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
- 1910: जर्मनी की समाजवादी नेता क्लारा ज़ेटकिन ने इसे एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के रूप में मनाने का सुझाव दिया।
- 1911: पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में मनाया गया।

इतिहास और महत्व

- **1975:** संयुक्त राष्ट्र (UN) ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता दी और इसे वैश्विक स्तर पर मनाने की घोषणा की।
- **1996:** संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार वार्षिक थीम देने की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण पहल और अभियान

1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहल

- UN Women: महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत।
- HeForShe: पुरुषों को भी लैंगिक समानता की पहल में शामिल करने का अभियान।
- Beijing Declaration (1995): महिलाओं के अधिकारों को वैश्विक प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता।

महत्वपूर्ण पहल और अभियान

2. भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रमुख योजनाएँ

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने हेतु।
- सुकन्या समृद्धि योजना: बालिकाओं के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए।
- महिला हेल्पलाइन 181: महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए।
- मुद्रा योजना: महिलाओं को स्वरोज़गार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु।

महिलाओं की उपलब्धियाँ

1. राजनीति में योगदान

- इंदिरा गांधी: भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री।
- द्रौपदी मुर्मू: भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति।

2. विज्ञान और तकनीक में योगदान

- कल्पना चावला: अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला।
- रितु करिधाल: भारत के चंद्रयान मिशनों की प्रमुख वैज्ञानिक।

महिलाओं की उपलब्धियाँ

3. खेल में उपलब्धियाँ

- साइना नेहवाल और पी. वी. सिंधु: बैडमिंटन में वैश्विक पहचान।
- मैरी कॉम: छह बार की विश्व चैंपियन बॉक्सर।

महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय आयोजन

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 मार्च को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी।
- यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा 'नारी शक्ति से विकसित भारत' थीम पर आयोजित किया जा रहा है।
- इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, वरिष्ठ अधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहेंगे।

#SheBuildsBharat: मेगा अभियान

- इस अवसर पर एक विशेष मेगा अभियान #SheBuildsBharat शुरू किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी, माय भारत के स्वयंसेवक, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह की सदस्य शामिल होंगी।
- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की महिला अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और विशेषज्ञ चर्चाएँ

- इस सम्मेलन में विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूएन महिला, यूएनडीपी, यूएनएफपीए जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।
- उद्घाटन सत्र के बाद, उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा का आयोजन किया जाएगा।
- STEM, व्यवसाय, खेल, मीडिया और शासन से महिला नेतृत्व को उजागर करने के लिए तीन तकनीकी सत्र आयोजित होंगे।

तीन प्रमुख सत्र

1. 'प्रेरणास्रोत महिलाएँ' - महिला दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर दृष्टिकोण

- यह सत्र STEM, व्यवसाय, खेल, मीडिया और शासन में अग्रणी महिला नेताओं को एक मंच पर लाएगा।
- वे अपने अनुभव साझा करेंगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी।

तीन प्रमुख सत्र

2. 'महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन'

- यह सत्र महिलाओं के वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता और आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगा।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।

तीन प्रमुख सत्र

3. 'नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी' - पंचायत से संसद तक

- यह सत्र राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और लैंगिक समानता को मजबूत करने की नीतियों पर चर्चा करेगा।
- पंचायत से संसद तक महिला नेतृत्व के विस्तार पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

डिजिटल मीडिया और इंटरएक्टिव ज़ोन

एक डिजिटल मीडिया और इंटरएक्टिव ज़ोन स्थापित किया जाएगा, जिसमें:

- रियल-टाइम चर्चाएँ, मल्टीमीडिया प्रदर्शन और कहानी कहने की पहल शामिल होगी।
- यह महिलाओं के योगदान को उजागर करेगा और प्रगतिशील भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित करेगा।

कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग और व्यापक प्रसारण

- दूरदर्शन, वेबकास्ट लिंक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विश्व बैंक लाइव के माध्यम से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बन सकें और इससे जुड़ सकें।

संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष - सच्चिदानंद सिन्हा

UPSC Syllabus Relavanace

- UPSC Mains Paper 2

Result Mitra

संक्षिप्त परिचय

- राजनीतिक दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- निर्वाचन क्षेत्र: बिहार
- धर्म: हिंदू
- मातृभाषा: हिंदी

शिक्षा और प्रारंभिक जीवन

- जन्म 10 नवंबर 1871 को आरा, बंगाल प्रेसीडेंसी में हुआ।
- प्रारंभिक शिक्षा पटना में प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए।
- लंदन में कानून की डिग्री हासिल की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के सक्रिय सदस्य रहे।
- 1892 में दादाभाई नौरोजी के चुनाव प्रचार में सहयोग दिया।

कानूनी और राजनीतिक करियर

- 1893: कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की, बाद में इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालय में भी कार्य किया।
- बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- 1896-1919: कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और अध्यक्ष बने।

कानूनी और राजनीतिक करियर

- 1910-1930: इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे।
- 1921: सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के उपाध्यक्ष बने।
- बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष तथा बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- किसी प्रांत के वित्त सदस्य का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने।

संविधान निर्माण में भूमिका

- संविधान सभा में बिहार से कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए।
- संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष (Provisional President) के रूप में कार्य किया।
- संविधान सभा में सक्रिय रूप से बहसों में भाग नहीं लिया, लेकिन बिहार के आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञापन प्रस्तुत किए।

शिक्षा और पत्रकारिता में योगदान

- पत्रकारिता में रुचि: 'हिंदुस्तान रिव्यू' मासिक पत्रिका के संपादक रहे।
- 1936-1944: पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया।
- कई शोधपत्र और पुस्तकें लिखीं।

स्वतंत्रता संग्राम और विचारधारा

- उदारवादी नेता थे, लेकिन खुद को "संवैधानिक राष्ट्रवादी" मानते थे।
- संवैधानिक तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्ति के समर्थक थे और आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस :- नारी शक्ति नए भारत की पथ प्रदर्शक

Result Mitra
RESULT MITRA

महत्वपूर्ण लेखन

- 'सम एमिनेंट बिहार कंटेम्पोररीज़'
- 'सम एमिनेंट इंडियन कंटेम्पोररीज़'
- 'इकबाल: द पोएट एंड हिज़ मैसेज'
- 'डायरकी इन इंडियन प्रोविंसेस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस'
- 'कश्मीर, द प्लेग्राउंड ऑफ़ एशिया'

निधन और विरासत

- 5 मार्च 1950: संविधान लागू होने के तुरंत बाद उनका निधन हुआ।
- उनके योगदान को भारतीय संविधान निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा याद किया जाएगा।

प्रश्न: संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे।

2. वे बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष रहे।

3. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे।

सही विकल्प चुनें:

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

स्मार्टफोन ब्रेक

UPSC Syllabus Relavanace

- UPSC Mains Paper 3

Result Mitra

स्मार्टफोन ब्रेक

Result Mitra
RESULT MITRA

स्मार्टफोन से 72 घंटे की दूरी – क्या कहता है विज्ञान?

- स्मार्टफोन के सीमित उपयोग से मस्तिष्क की न्यूरोट्रांसमीटर गतिविधि में बदलाव देखा गया।
- डोपामाइन और सेरोटोनिन से जुड़े क्षेत्र, जो मिजाज, भावनाओं और लत को नियंत्रित करते हैं, प्रभावित होते हैं।
- वैज्ञानिकों ने पाया कि स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है।

DAILY CURRENT AFFAIRS

स्मार्टफोन ब्रेक

Result Mitra
RESULT MITRA

स्मार्टफोन की लत और व्यवहारिक प्रभाव

- औसतन, लोग एक दिन में 2600 बार अपना फोन चेक करते हैं।
- फोन गुम होने की कल्पना मात्र से घबराहट होना एक आम समस्या है।
- कई लोग फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का शिकार होते हैं, जिसमें वे महसूस करते हैं कि उनका फोन वाइब्रेट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता।

स्मार्टफोन ब्रेक

शोध और निष्कर्ष

- अध्ययन: जर्नल Computers in Human Behavior में प्रकाशित हुआ।
- शोधकर्ता: हेडेलबर्ग और कोलोन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया।
- प्रतिभागी: 18 से 30 वर्ष की आयु के 25 युवा।

प्रक्रिया:

- 72 घंटों के लिए केवल आवश्यक कार्यों के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई।
- मनोवैज्ञानिक परीक्षण और FMRI स्कैन के माध्यम से मस्तिष्क गतिविधि का विश्लेषण किया गया।

DAILY CURRENT AFFAIRS

स्मार्टफोन ब्रेक

Result Mitra
RESULT MITRA

स्मार्टफोन की लत से मिलते-जुलते मस्तिष्क परिवर्तन

- अध्ययन में पाया गया कि स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग शराब या अन्य नशे की लत के समान प्रभाव डाल सकता है।

72 घंटे की डिजिटल दूरी के बाद:

- मस्तिष्क के इच्छा और आनंद केंद्रों में बदलाव दर्ज किए गए।
- इन क्षेत्रों की प्रतिक्रिया नशे की लत से उबरने वालों की तरह पाई गई।
- भावनात्मक और संज्ञानात्मक संतुलन में सुधार देखा गया।

DAILY CURRENT AFFAIRS

स्मार्टफोन ब्रेक

Result Mitra
RESULT MITRA

स्मार्टफोन के दुष्प्रभाव और संभावित खतरे

1. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

- अत्यधिक स्क्रीन टाइम तनाव, चिंता और अवसाद से जुड़ा हो सकता है।
- शोधों में स्क्रीन टाइम और किशोरों में डिप्रेशन के बीच संबंध पाया गया।

2. सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव में कमी

- अधिक स्क्रीन समय परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों को कमजोर कर सकता है।
- वास्तविक सामाजिक संबंधों की जगह डिजिटल बातचीत अधिक हावी हो जाती है।

स्मार्टफोन के दुष्प्रभाव और संभावित खतरे

3. ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर असर

- बार-बार फोन चेक करने की आदत ध्यान भंग करने वाली होती है।
- लगातार अलर्ट और नोटिफिकेशन से मस्तिष्क की फोकस क्षमता कम हो सकती है।

स्मार्टफोन ब्रेक

Result Mitra
RESULT MITRA

क्या कहती है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट?

- संयुक्त राष्ट्र ने स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई।
- रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में स्मार्टफोन का उपयोग सीमित और संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए।
- डिजिटल तकनीकें दोधारी तलवार की तरह हैं – यदि सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो नुकसानदेह हो सकती हैं।

स्मार्टफोन ब्रेक

Result Mitra
RESULT MITRA

डिजिटल डिटॉक्स – समाधान की ओर एक कदम

- फोन के उपयोग को सीमित करने के लिए 'नो-फोन' समय निर्धारित करें।
- सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन को सीमित करें।
- रात को सोने से कम से कम एक घंटा पहले फोन का उपयोग बंद करें।
- वास्तविक सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता दें।
- डिजिटल आदतों को नियंत्रित करने के लिए ऐप्स का उपयोग करें।

स्मार्टफोन ब्रेक

Result Mitra
RESULT MITRA

निष्कर्ष

- स्मार्टफोन हमारी जीवनशैली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
- 72 घंटे के स्मार्टफोन ब्रेक से पता चलता है कि यह लत के प्रभावों से काफी हद तक मेल खाता है।
- डिजिटल संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि हम तकनीक का सही तरीके से लाभ उठा सकें, न कि इसके दास बन जाएं।

CURRENT AFFAIRS QUIZ

Result Mitra

प्रश्न: हाल ही में हुए शोध के अनुसार स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग निम्नलिखित में से किन न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित कर सकता है?

1. डोपामाइन
2. सेरोटोनिन
3. ऑक्सिटोसिन

सही विकल्प चुनें:

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

विविधता का अमृत महोत्सव

UPSC Syllabus Relavanace

- UPSC Mains Paper 1

विविधता का अमृत महोत्सव

- राष्ट्रपति ने 'विविधता का अमृत महोत्सव' के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया

कार्यक्रम की शुरुआत और उद्देश्य

- तारीख: 5 मार्च 2025
- स्थान: राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
- उद्घाटनकर्ता: भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु

विविधता का अमृत महोत्सव

कार्यक्रम की शुरुआत और उद्देश्य

- मुख्य उद्देश्य: भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना और विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करना।
- इस बार का विशेष फोकस: दक्षिण भारत के राज्य – कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश – लक्षद्वीप व पुडुचेरी।

विविधता का अमृत महोत्सव

Result Mitra
RESULT MITRA

महोत्सव के प्रमुख आकर्षण

1. सांस्कृतिक विविधता का उत्सव

- भारत की सांस्कृतिक विविधता को विभिन्न क्षेत्रीय संस्करणों के माध्यम से प्रदर्शित करना।
- दक्षिण भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य और परंपराओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया।
- कारीगरों, कलाकारों, साहित्यकारों और पाक विशेषज्ञों को मंच प्रदान करना।

विविधता का अमृत महोत्सव

महोत्सव के प्रमुख आकर्षण

2. प्रदर्शन और कार्यशालाएँ

- हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनियां।
- सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ एवं लोक नृत्य।
- साहित्यिक सत्रों में दक्षिण भारतीय इतिहास और परंपराओं पर चर्चा।
- पारंपरिक व्यंजनों का विशेष आयोजन।

महोत्सव के प्रमुख आकर्षण

3. कारीगरों और जनता की भागीदारी

- 500 से अधिक कारीगर और बुनकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।
- आम जनता को कलाकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों से संवाद करने का अवसर।
- स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक अवसरों का प्रोत्साहन।

महोत्सव का आयोजन स्वरूप

महोत्सव को सात क्षेत्रीय संस्करणों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र को अलग-अलग प्रस्तुत किया जाएगा:

- 1. पूर्वोत्तर भारत
- 2. दक्षिण भारत (वर्तमान संस्करण)
- 3. उत्तर भारत
- 4. पूर्व भारत
- 5. पश्चिम भारत
- 6. मध्य भारत
- 7. केंद्र शासित प्रदेश

महोत्सव का आयोजन स्वरूप

कार्यक्रम का विवरण

- तिथियाँ: 6 मार्च – 9 मार्च 2025
- समय: प्रातः 10 बजे – रात्रि 8 बजे
- स्थान: राष्ट्रपति भवन (प्रवेश: गेट नंबर 35)
- ऑनलाइन बुकिंग: visit.rashtrapatibhavan.gov.in

विविधता का अमृत महोत्सव

महोत्सव की प्रमुख जानकारी – एक नजर में	
श्रेणी	**विवरण**
प्रमुख खबर	➢ राष्ट्रपति द्वारा 'विविधता का अमृत महोत्सव' का उद्घाटन
मुख्य क्षेत्रीय फोकस	➢ दक्षिण भारत (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पुडुचेरी)
प्रतिभागियों की संख्या	➢ 500+ कारीगर और बुनकर

विविधता का अमृत महोत्सव

Result Mitra
RESULT MITRA

महोत्सव की प्रमुख जानकारी – एक नजर में	
श्रेणी	**विवरण**
मुख्य आकर्षण	➢ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, हस्तशिल्प, हथकरघा प्रदर्शनियाँ, साहित्यिक चर्चा, भोजन मंडप
सार्वजनिक तिथियाँ	➢ 6 मार्च – 9 मार्च 2025
समय	➢ प्रातः 10 बजे – रात्रि 8 बजे

विविधता का अमृत महोत्सव

Result Mitra
RESULT MITRA

महोत्सव की प्रमुख जानकारी – एक नजर में	
श्रेणी	**विवरण**
प्रवेश द्वार	➢ गेट नंबर 35, राष्ट्रपति भवन
ऑनलाइन बुकिंग	➢ visit.rashtrapatibhavan.gov.in
मुख्य उद्देश्य	➢ भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना और कारीगरों को सशक्त बनाना

विविधता का अमृत महोत्सव

Result Mitra
RESULT MITRA

निष्कर्ष

- 'विविधता का अमृत महोत्सव' भारत की विविध संस्कृतियों को एक मंच पर लाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, कलाकारों और शिल्पकारों को नई संभावनाएँ भी प्रदान करता है।
- इस तरह के आयोजनों से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और जनसहभागिता को बढ़ाने में मदद मिलती है।

Result Mitra

प्रश्न: 'विविधता का अमृत महोत्सव' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस महोत्सव का दूसरा संस्करण राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटित किया गया।

2. इस संस्करण में पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

3. यह कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है।

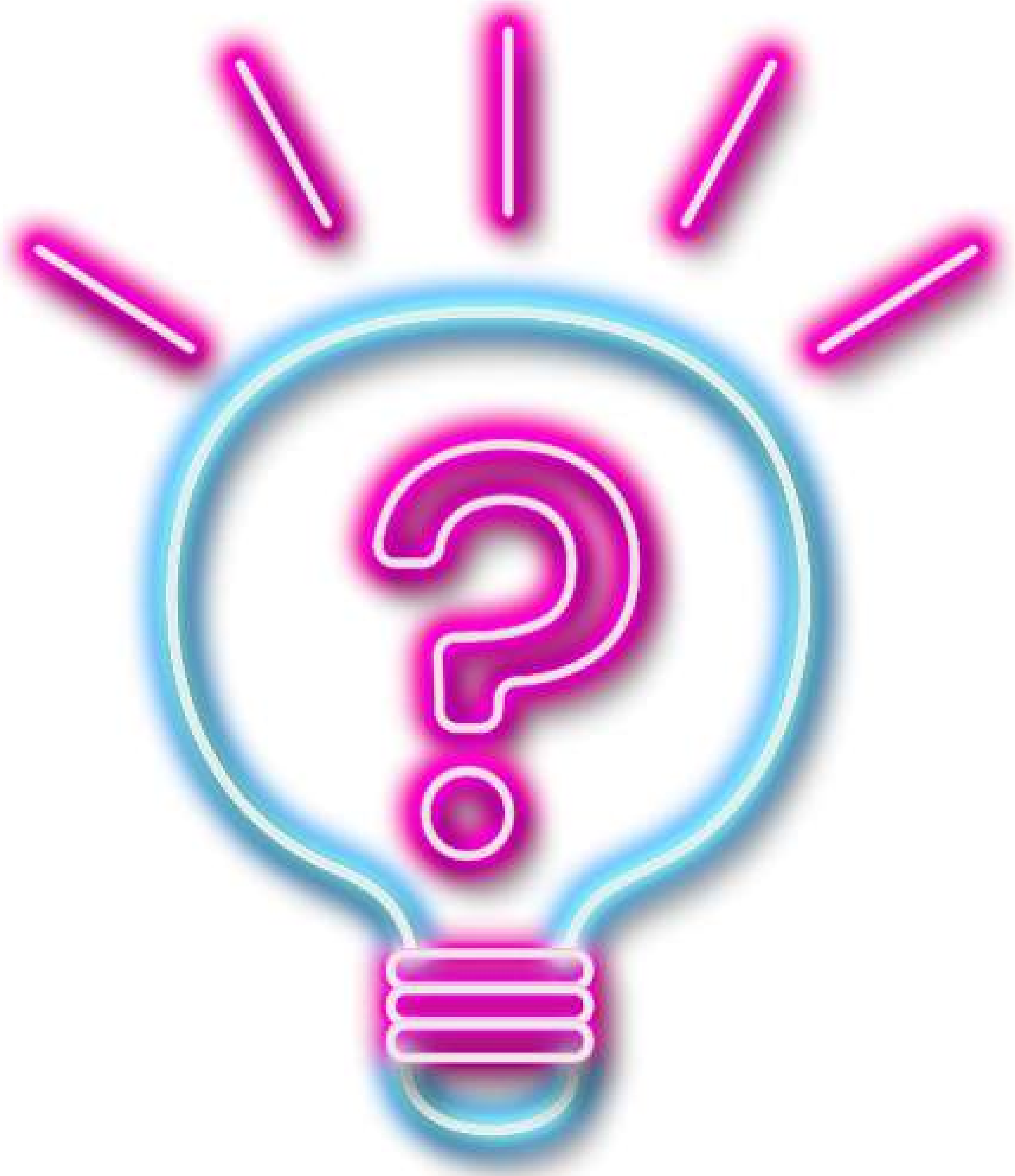

सही विकल्प चुनें:

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त

UPSC Syllabus Relavanace

- UPSC Mains Paper 2

DAILY CURRENT AFFAIRS

मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त

Result Mitra
RESULT MITRA

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने घोषणा की कि भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) के तहत प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 100 मातृ मृत्यु दर (MMR) के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।
- 1990 से 2020 के बीच भारत में MMR में 83% की गिरावट दर्ज की गई, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है।

DAILY CURRENT AFFAIRS

मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त

Result Mitra
RESULT MITRA

शिशु एवं बाल मृत्यु दर में सुधार

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से शिशु मृत्यु दर (IMR) में 69% की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 55% रही।
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 75% की कमी दर्ज की गई, जबकि वैश्विक औसत 58% ही रहा।

मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त

Result Mitra
RESULT MITRA

मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate - MMR) क्या है?

परिभाषा:

- वह दर जो गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के समय या प्रसव के 42 दिनों के भीतर किसी भी कारण से (जो दुर्घटना या आकस्मिक न हो) होने वाली माताओं की मृत्यु को दर्शाती है।

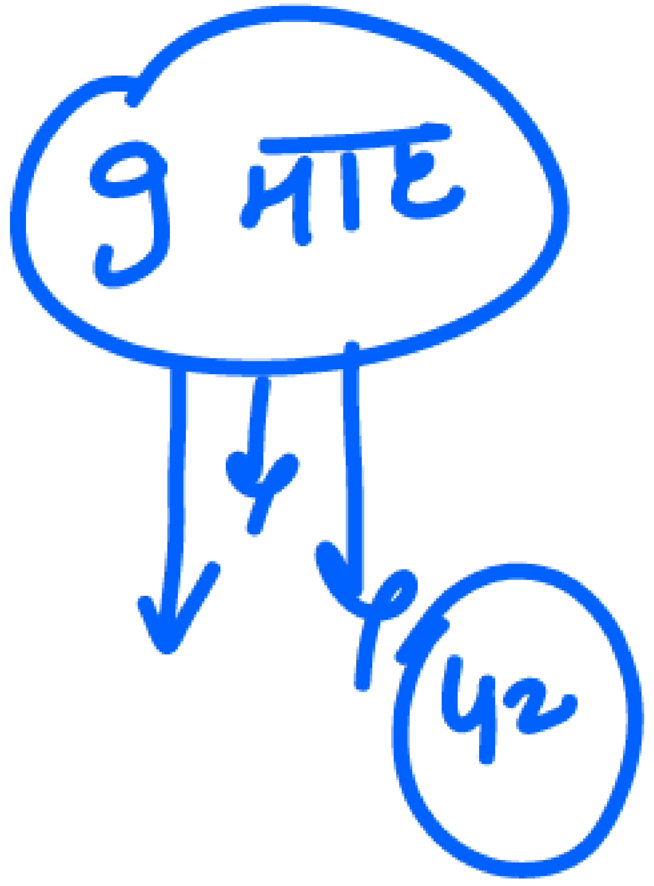

मापन:

- प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर गणना की जाती है।

मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त

Result Mitra
RESULT MITRA

निष्कर्ष

- भारत ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम है।

Result Mitra

प्रश्न: भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) के तहत मातृ मृत्यु दर (MMR) के लक्ष्य को प्राप्त किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. MMR को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मापा जाता है।

2. 1990 से 2020 के बीच भारत में MMR में 83% की गिरावट आई।

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत भारत में शिशु मृत्यु दर (IMR) में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।

सही विकल्प चुनें:

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

UPSC Syllabus Relavanace

- UPSC Mains Paper 2

Result Mitra

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

- भारत में चीता पुनर्वास परियोजना अब मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान से आगे बढ़कर गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड्स और मध्य प्रदेश के गांधीसागर अभयारण्य तक विस्तारित होने जा रही है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की सातवीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विस्तार की घोषणा की। इसका उद्देश्य चीतों की आबादी बहाल करना और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना है।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

Result Mitra
RESULT MITRA

परियोजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत में 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित किया गया।
- प्रमुख कारण: अत्यधिक शिकार और प्राकृतिक आवास की हानि।
- भारत सरकार ने अफ्रीकी देशों के सहयोग से दुनिया की पहली अंतरमहाद्वीपीय बड़ी बिल्ली स्थानांतरण परियोजना शुरू की।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

Result Mitra
RESULT MITRA

कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनर्वास

- सितंबर 2022: नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए।
- फरवरी 2023: दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते स्थानांतरित किए गए।
- मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP) में इन्हें छोड़ा गया।
- मृत्यु दर: 7 चीतों की मौत (मुख्य कारण सेप्टीसीमिया)।
- प्रजनन सफलता: 17 शावक जन्मे, जिनमें से 12 जीवित हैं।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

Result Mitra
RESULT MITRA

नए पुनर्वास स्थल: विस्तारित चीता आवास

1. बन्नी ग्रासलैंड्स, गुजरात

- स्थान: कच्छ जिला, गुजरात।
- क्षेत्रफल: 2,500 वर्ग किमी का संरक्षित घासभूमि क्षेत्र।

मुख्य विशेषताएँ:

- एशिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में से एक।
- बन्नी भैंस, कंकरेज गाय, ऊँट, बकरी, भेड़ और घोड़े यहाँ पाए जाते हैं।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

Result Mitra
RESULT MITRA

नए पुनर्वास स्थल: विस्तारित चीता आवास

1. बन्नी ग्रासलैंड्स, गुजरात

मुख्य विशेषताएँ:

- 250+ पक्षी प्रजातियाँ, जिनमें कई प्रवासी पक्षी शामिल हैं।
- अर्ध-शुष्क परिदृश्य, जो अफ्रीकी सवाना जैसा है और चीतों के लिए आदर्श हो सकता है।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

Result Mitra
RESULT MITRA

नए पुनर्वास स्थल: विस्तारित चीता आवास

2. गांधीसागर अभयारण्य, मध्य प्रदेश

- स्थान: मंदसौर और नीमच जिलों में फैला हुआ।

मुख्य विशेषताएँ:

- गांधीसागर बांध के बैकवाटर क्षेत्र में फैला हुआ संरक्षित जंगल।
- जंगली कुत्ते (ढोल), चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव और मगरमच्छ जैसे दुर्लभ जीव यहाँ पाए जाते हैं।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

नए पुनर्वास स्थल: विस्तारित चीता आवास

2. गांधीसागर अभयारण्य, मध्य प्रदेश

मुख्य विशेषताएँ:

- चीतों के लिए अनुकूल आवास, जहाँ पर्याप्त शिकार उपलब्ध है और मानवीय हस्तक्षेप कम है।
- क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएँ अफ्रीकी चीतों के प्राकृतिक आवास से मेल खाती हैं।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

Result Mitra
RESULT MITRA

वैज्ञानिक और संरक्षणीय महत्व

जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन

- चीते पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
- वे शिकार की जनसंख्या को नियंत्रित करके पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं।

आनुवंशिक विविधता को मजबूत करना

- विभिन्न स्थानों पर चीतों को बसाने से इनब्रीडिंग (समान जीन पूल में प्रजनन) का खतरा कम होगा।
- इससे भारत में चीता जनसंख्या को दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

Result Mitra
RESULT MITRA

वैज्ञानिक और संरक्षणीय महत्व

भारत में ऐतिहासिक उपस्थिति बहाल करना

- भारत सरकार की कार्ययोजना के तहत 5 वर्षों में 50 चीतों को पुनर्वासित करने का लक्ष्य है।
- इससे वन्यजीव पर्यटन और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

Result Mitra
RESULT MITRA

परियोजना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

मृत्यु दर और स्वास्थ्य समस्याएँ

- कुनो में 7 चीतों की मौत, मुख्यतः सेप्टीसीमिया और अन्य स्वास्थ्य कारणों से।
- बेहतर पशु चिकित्सा देखभाल और निगरानी प्रणालियों की आवश्यकता।
- नए स्थानों में पर्याप्त शिकार और क्षेत्रीय अनुकूलन सुनिश्चित करना होगा।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

परियोजना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

मानव-वन्यजीव संघर्ष

- चीते बड़े खुले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम हो।
- स्थानीय समुदायों को जागरूक करना और संरक्षण कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

भविष्य की संभावनाएँ और निष्कर्ष

निरंतर निगरानी

- नए आवासों में चीतों की सतत निगरानी आवश्यक होगी।
- स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण अनुकूलन और व्यवहारिक अध्ययन जारी रखना होगा।

संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करना

- स्थानीय समुदायों की भागीदारी से परियोजना को अधिक सफलता मिलेगी।
- वन्यजीव सुरक्षा उपायों और संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

Result Mitra
RESULT MITRA

भविष्य की संभावनाएँ और निष्कर्ष

दीर्घकालिक वन्यजीव संरक्षण योजना

- भारत में चीतों की स्थायी और सुरक्षित जनसंख्या विकसित करने का प्रयास जारी रहेगा।
- यह पहल भारत में वन्यजीव पर्यटन और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देगी।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

संक्षिप्त विवरण: चीता पुनर्वास परियोजना	
श्रेणी	**विवरण**
वर्तमान स्थिति	❑ भारत सरकार ने चीता पुनर्वास परियोजना का विस्तार किया, जो अब गुजरात और मध्य प्रदेश के नए आवासों में विस्तारित होगी।
पृष्ठभूमि	❑ भारत में 1952 में चीते विलुप्त घोषित हुए। इस परियोजना के तहत अफ्रीका से चीतों का पहला अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण किया गया।

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

Result Mitra
RESULT MITRA

संक्षिप्त विवरण: चीता पुनर्वास परियोजना	
श्रेणी	विवरण
कुनो पुनर्वास	❑ 8 चीते (नामीबिया से, सितंबर 2022)
	❑ 12 चीते (दक्षिण अफ्रीका से, फरवरी 2023)
	❑ 7 चीतों की मृत्यु, 4 सेप्टीसीमिया के कारण
	❑ 17 शावक जन्मे, 12 जीवित

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

Result Mitra
RESULT MITRA

संक्षिप्त विवरण: चीता पुनर्वास परियोजना	
श्रेणी	**विवरण**
नए पुनर्वास स्थल	**1. बन्नी ग्रासलैंड्स, गुजरात** ▪ 2,500 वर्ग किमी संरक्षित क्षेत्र ▪ अर्ध-शुष्क परिदृश्य, 250+ पक्षी प्रजातियाँ **2. गांधीसागर अभयारण्य, मध्य प्रदेश** ▪ मंदसौर और नीमच जिले ▪ गांधीसागर बांध के पास शुष्क, अर्ध-वन क्षेत्र

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

Result Mitra
RESULT MITRA

संक्षिप्त विवरण: चीता पुनर्वास परियोजना	
श्रेणी	**विवरण**
वैज्ञानिक महत्व	▪ पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता को बढ़ावा ▪ आनुवंशिक विविधता में सुधार ▪ भारत में चीतों की ऐतिहासिक उपस्थिति बहाल करना
चुनौतियाँ	▪ स्वास्थ्य समस्याएँ और मृत्यु दर ▪ मानव-वन्यजीव संघर्ष ▪ नए आवासों में अनुकूलन

भारत में चीता का पुनरुत्पादन

संक्षिप्त विवरण: चीता पुनर्वास परियोजना	
श्रेणी	**विवरण**
भविष्य की संभावनाएँ	▪ संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करना ▪ चीतों की सतत निगरानी और देखभाल ▪ वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना

CURRENT AFFAIRS QUIZ

Result Mitra

प्रश्न : हाल ही में भारत सरकार ने चीता पुनर्वास परियोजना का विस्तार करने की घोषणा की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में चीते 1952 में विलुप्त घोषित किए गए थे।

2. वर्तमान में कुनो राष्ट्रीय उद्यान, बन्नी ग्रासलैंड्स और गांधीसागर अभयारण्य चीता पुनर्वास स्थलों के रूप में चुने गए हैं।

3. इस परियोजना के तहत सभी चीते अफ्रीका के केन्या और तंजानिया से लाए गए हैं।

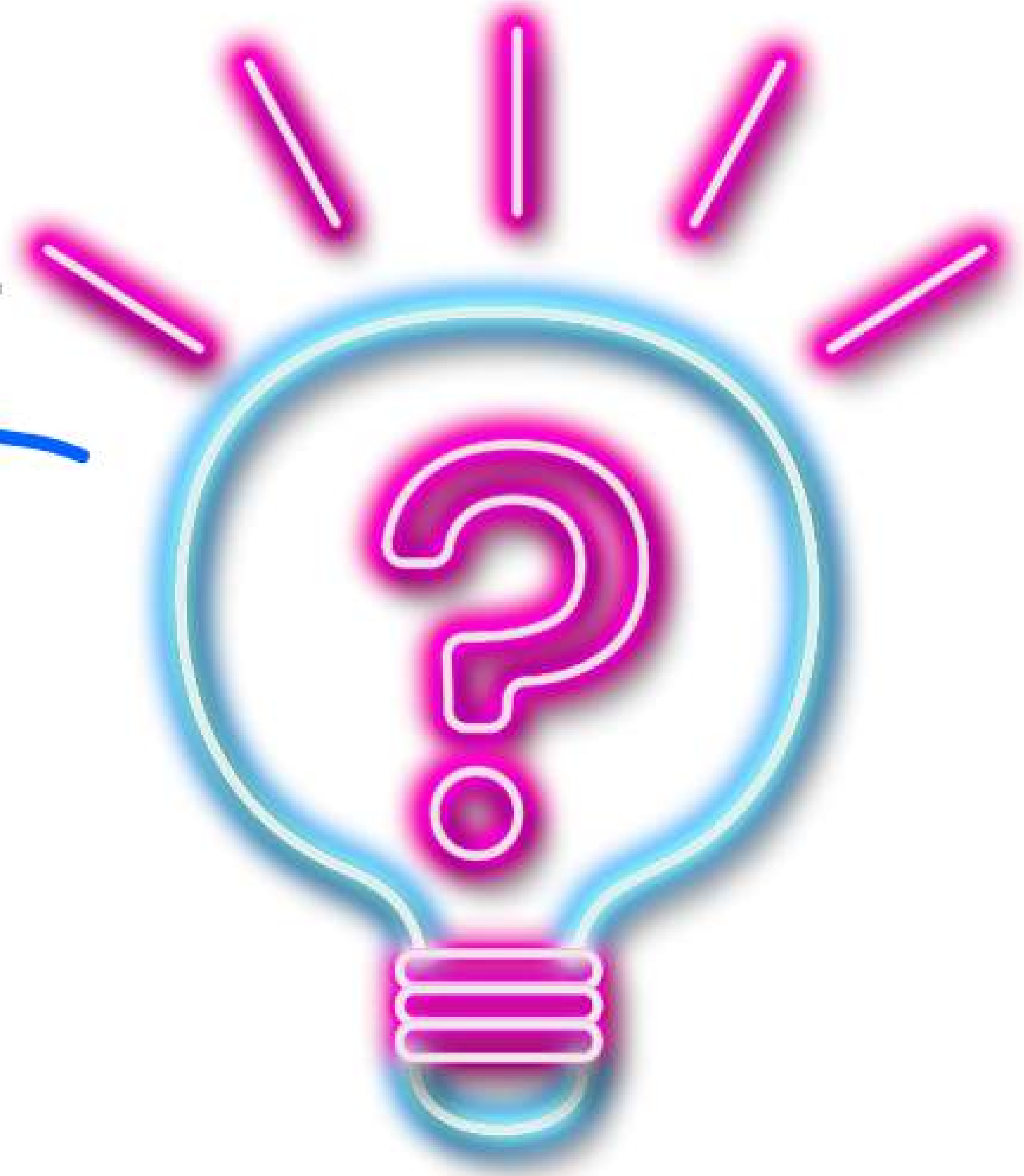

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3 सभी

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

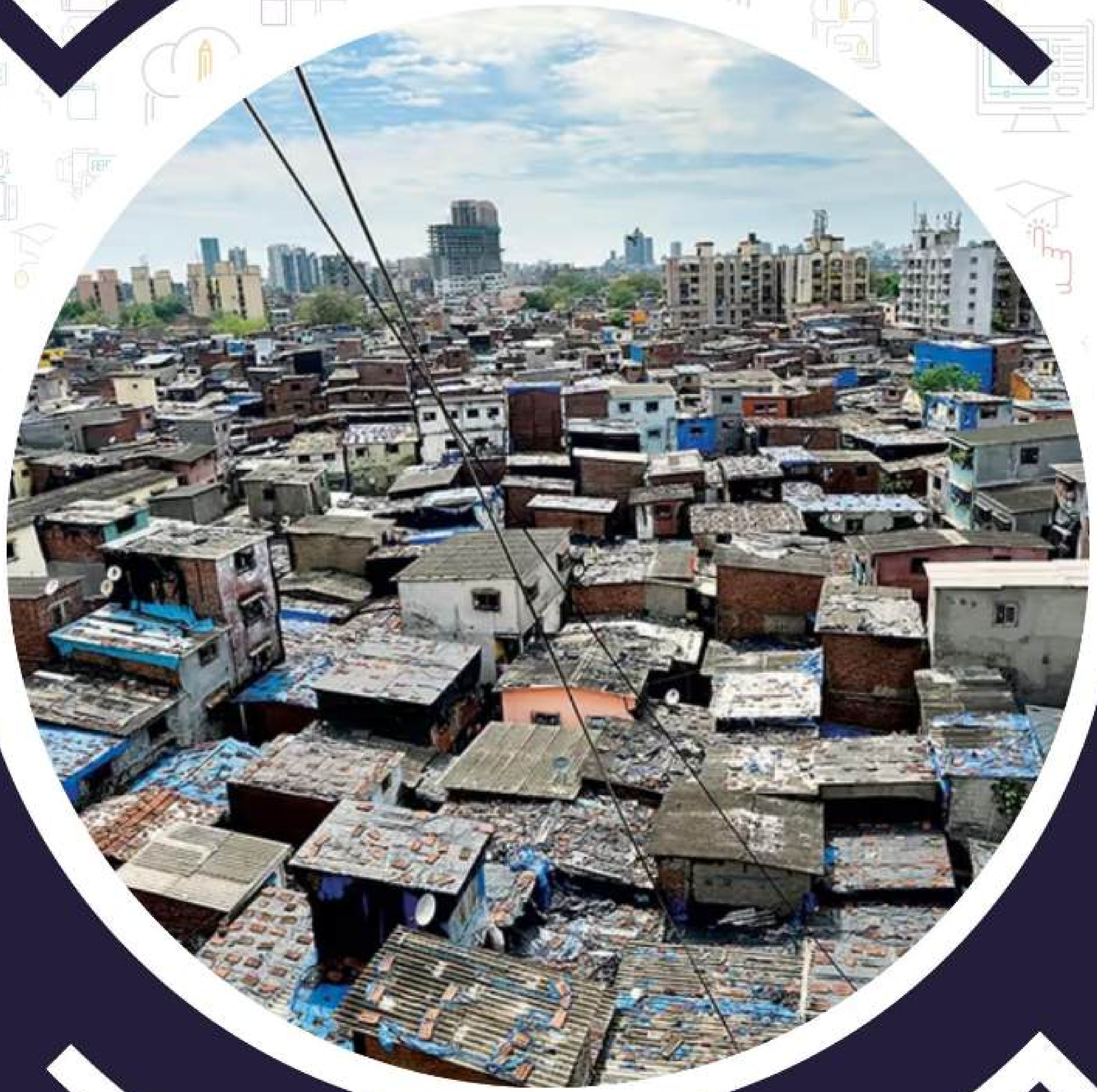

UPSC Syllabus Relavanace

- UPSC Mains Paper 2

Result Mitra

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

चर्चा में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय (SC) के निर्देश के बाद, बॉम्बे उच्च न्यायालय (HC) ने महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम, 1971 की पहली बार व्यापक समीक्षा शुरू की।
- इस समीक्षा का उद्देश्य झुग्गी पुनर्विकास में होने वाली देरी और संस्थागत कमियों की पहचान करना है, जिससे झुग्गीवासियों के आश्रय (अनुच्छेद 21) एवं आजीविका के अधिकार पर असर पड़ता है।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम, 1971: एक परिचय

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस कानून की प्रभावशीलता का विश्लेषण शुरू किया।
- न्यायालय ने संवैधानिक निकायों की कार्यप्रणाली की जाँच करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक मिसाल पेश की, जिससे कानून में आवश्यक सुधार का मार्ग प्रशस्त हो।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पहचानी गई प्रमुख कमियाँ

निर्णय-प्रक्रिया में निष्पक्षता की कमी

- बिल्डरों के अत्यधिक हस्तक्षेप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता और ईमानदारी पर संदेह उत्पन्न होता है।

झुग्गीवासियों की पहचान में जटिलता

- झुग्गीवासियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जटिल और विवादास्पद है, जिससे मुकदमेबाजी बढ़ती है।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पहचानी गई प्रमुख कमियाँ

डेवलपर चयन में अनियमितता

- झुग्गीवासियों की सहकारी समितियों को डेवलपर चुनने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसमें अक्सर भ्रष्टाचार और पक्षपात देखा जाता है।

वित्तीय असंतुलन और असमानता

- डेवलपर्स अक्सर बिक्री योग्य क्षेत्र बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जिससे झुग्गीवासियों के लिए आवासीय क्षेत्र घट जाता है।
- पुनर्वास प्रक्रिया में समय पर पारगमन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती या विकल्प अपर्याप्त रहते हैं।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

सरकार की शक्तियाँ

- महाराष्ट्र सरकार को किसी क्षेत्र को "झुग्गी क्षेत्र" घोषित करने और (आवश्यक हो तो) अधिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है।
- झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) की स्थापना
- निजी डेवलपर्स के माध्यम से स्लम पुनर्विकास की निगरानी के लिए 1995 में SRA का गठन किया गया।

महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

झुग्गी पुनर्विकास के लिए डेवलपर प्रोत्साहन

- निजी डेवलपर्स, झुग्गीवासियों के साथ समझौते के तहत निःशुल्क आवास प्रदान करते हैं।
- बदले में, उन्हें अधिक फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) और खुले बाजार में बिक्री योग्य क्षेत्र प्राप्त होता है।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

मलिन बस्तियाँ और उनका वैश्विक परिदृश्य

मलिन बस्तियों की परिभाषा

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मलिन बस्तियाँ अधोमानक आवास, गरीबी और असुरक्षित भूमि अधिकारों वाले शहरी क्षेत्र हैं।
- ये क्षेत्र अत्यधिक भीड़भाड़, अव्यवस्थित और उपेक्षित होते हैं।

वैश्विक आँकड़े

- 2020 में मलिन बस्ती निवासियों की संख्या लगभग 1.1 बिलियन थी।
- शहरीकरण की तेज़ गति के कारण 2026 तक अनुमानतः 40% जनसंख्या शहरों में रहेगी।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

मलिन बस्तियों के विस्तार के कारण

जनसंख्या वृद्धि और गरीबी

- नगरीय क्षेत्रों में रोजगार और अवसरों की कमी के कारण गरीब लोग मलिन बस्तियों में बसने को मजबूर होते हैं।

क्षेत्रीय असमानता और प्रवास

- बिहार, ओडिशा जैसे कम विकसित राज्यों से महाराष्ट्र और गुजरात जैसे समृद्ध राज्यों में तेज़ी से पलायन हो रहा है।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

मलिन बस्तियों के विस्तार के कारण

शहरी योजनाओं की विफलता

- अनियोजित नगरीय विकास, प्रशासनिक अक्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण मलिन बस्तियों की स्थिति बिगड़ती जा रही है।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

मलिन बस्ती विकास की उपेक्षा से उत्पन्न समस्याएँ

स्वास्थ्य जोखिम

- मलिन बस्ती निवासियों को टाइफाइड, हैजा और अन्य जलजनित बीमारियों का अधिक खतरा रहता है।

महिलाओं और बच्चों का शोषण

- महिलाएँ और बच्चे वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति और बाल तस्करी के शिकार हो सकते हैं।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

मलिन बस्ती विकास की उपेक्षा से उत्पन्न समस्याएँ

अपराध और सामाजिक असुरक्षा

- सरकार की शिक्षा और विधि प्रवर्तन में कमी के कारण अपराध बढ़ते हैं।
- इससे भुखमरी, कुपोषण और शिक्षा की सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

मलिन बस्ती पुनर्वास की प्रमुख चुनौतियाँ

भूमि एवं कानूनी बाधाएँ

- भूमि अधिग्रहण और कानूनी प्रक्रियाओं में नौकरशाही की जटिलता पुनर्वास को बाधित करती है।

वित्तीय चुनौतियाँ

- निजी डेवलपर्स निवेश पर कम रिटर्न के कारण अनिच्छुक होते हैं, जिससे परियोजनाओं में वित्तीय कठिनाइयाँ आती हैं।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

मलिन बस्ती पुनर्वास की प्रमुख चुनौतियाँ

सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध

- झुग्गीवासियों को पुनर्वास में सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान खोने का डर होता है।

पर्यावरणीय समस्याएँ

- अपर्याप्त हरित क्षेत्र और कचरा प्रबंधन की कमी से पर्यावरणीय समस्याएँ बढ़ती हैं।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

मलिन बस्ती पुनर्वास में सुधार के लिए संभावित समाधान

विधायी सुधार

- दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की तरह सुनियोजित भूमि अधिग्रहण नीति लागू करनी चाहिए।

नवाचार और वित्तीय समाधान

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल, जैसे मुंबई SRA योजना, को अधिक पारदर्शिता के साथ लागू करना चाहिए।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

मलिन बस्ती पुनर्वास में सुधार के लिए संभावित समाधान

सामुदायिक सहभागिता

- संयुक्त राष्ट्र-हैबिटेट के सहभागी स्लम उन्नयन कार्यक्रम की तर्ज़ पर झुग्गीवासियों को योजना में शामिल करना आवश्यक है।

पर्यावरण अनुकूल उपाय

- दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी परियोजना की तरह, पुनर्वास योजनाओं में हरित क्षेत्रों का समावेश किया जाना चाहिए।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

मलिन बस्ती पुनर्वास में सुधार के लिए संभावित समाधान

शासन में सुधार और पारदर्शिता

- अहमदाबाद स्लम नेटवर्किंग प्रोजेक्ट (SNP) की तर्ज़ पर पारदर्शी प्रशासन और निगरानी प्रणाली लागू करनी होगी।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियां

Result Mitra
RESULT MITRA

निष्कर्ष

- बॉम्बे हाईकोर्ट की यह समीक्षा महाराष्ट्र में स्लम पुनर्विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यदि संपूर्ण सुधारात्मक उपायों को अपनाया जाता है, तो यह झुग्गी पुनर्विकास को पारदर्शी, न्यायसंगत और प्रभावी बना सकता है।
- इससे झुग्गीवासियों का जीवन स्तर सुधरेगा, और शहरी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित होगा।

प्रश्न : भारत में मलिन बस्तियों के पुनर्विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम, 1971 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पहली बार व्यापक समीक्षा के लिए लिया है।

2. स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) का मुख्य उद्देश्य निजी डेवलपर्स को अधिक लाभ पहुँचाना है।

3. झुग्गी पुनर्विकास में वित्तीय असंतुलन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि डेवलपर्स अक्सर बिक्री योग्य क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता देते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3 सभी

प्रोजेक्ट लायन

UPSC Syllabus Relavanace

- UPSC Mains Paper 2

प्रोजेक्ट लायन

Result Mitra
RESULT MITRA

परिचय

- हाल ही में गुजरात के गिर परिदृश्य में "प्रोजेक्ट लायन" की शुरुआत की गई।
- यह परियोजना पारिस्थितिकी-आधारित संरक्षण और सामुदायिक विकास को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
- मुख्य उद्देश्य एशियाई शेरों के संरक्षण को मजबूत करना और उनके आवासीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है।

एशियाई शेर: एक दुर्लभ प्रजाति

विशेषताएँ

- एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में छोटे होते हैं।
- नर एशियाई शेरों की अयाल (बालों की परत) छोटी होती है, जिससे उनके कान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
- अनूठी पहचान: इनके पेट की त्वचा पर लंबवत फोल्ड होते हैं, जो अफ्रीकी शेरों में नहीं पाए जाते।

एशियाई शेर: एक दुर्लभ प्रजाति

संरक्षण स्थिति

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षित।
- CITES परिशिष्ट I में सूचीबद्ध, जिससे इन पर सख्त संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- IUCN लाल सूची में "लुप्तप्राय" श्रेणी में वर्गीकृत, जिससे इनके संरक्षण की तात्कालिकता स्पष्ट होती है।

एशियाई शेर: एक दुर्लभ प्रजाति

वर्तमान वितरण

- ऐतिहासिक रूप से पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी पाए जाते थे।
- अब केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य तक सीमित हैं।

प्रोजेक्ट लायन

एशियाई शेर संरक्षण परियोजना

परियोजना का शुभारंभ

- 2018-2021 की अवधि के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू की गई।
- गिर परिदृश्य में शेरों के संरक्षण पर केंद्रित।

प्रोजेक्ट लायन

Result Mitra
RESULT MITRA

एशियाई शेर संरक्षण परियोजना

मुख्य उद्देश्य

- वैज्ञानिक प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी का समावेश।
- रोग प्रबंधन और पशु चिकित्सा देखभाल को प्राथमिकता देना।
- दीर्घकालिक संरक्षण के लिए बड़े परिदृश्य में प्रजाति संरक्षण को बढ़ावा देना।
- 21 गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को प्राथमिकता देने वाली व्यापक पहल का हिस्सा।

प्रोजेक्ट लायन

Result Mitra
RESULT MITRA

प्रोजेक्ट लायन: एक समग्र दृष्टिकोण

संरक्षण रणनीति

- गुजरात के गिर परिदृश्य में एशियाई शेरों के लिए विशेष रूप से लक्षित पहल।
- पारिस्थितिकी-आधारित संरक्षण को पारिस्थितिकी-विकास रणनीतियों के साथ जोड़ा गया।

प्रोजेक्ट लायन

Result Mitra
RESULT MITRA

प्रोजेक्ट लायन: एक समग्र दृष्टिकोण

प्रमुख लक्ष्य

- शेरों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना।
- आजीविका सृजन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- बड़ी बिल्लियों की बीमारियों पर अनुसंधान के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना।
- समावेशी जैव विविधता संरक्षण को लागू करना।

एशियाई शेरों का वितरण क्षेत्र

वर्तमान आवास

- गुजरात के नौ जिलों में पाए जाते हैं:
  - जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, और सुरेंद्रनगर।
- एशियाई शेरों का क्षेत्र लगभग 30,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है।

प्रोजेक्ट लायन

Result Mitra
RESULT MITRA

एशियाई शेरों का वितरण क्षेत्र

भविष्य के संभावित आवास

- गुजरात सरकार ने बरदा वन्यजीव अभयारण्य (गिर राष्ट्रीय उद्यान से 100 किमी दूर) को शेरों के लिए संभावित दूसरे आवास के रूप में पहचाना है।
- संरक्षण योजना का आधिकारिक दस्तावेज
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा "LION @ 47: अमृतकाल विजन" दस्तावेज़ लॉन्च किया गया।
- यह दस्तावेज़ गुजरात में शेरों के संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

प्रोजेक्ट लायन

निष्कर्ष

- प्रोजेक्ट लायन एशियाई शेरों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
- यह वैज्ञानिक रणनीति, सामुदायिक भागीदारी और सतत विकास को प्राथमिकता देता है।

प्रोजेक्ट लायन

निष्कर्ष

- गुजरात सरकार द्वारा दूसरे संभावित आवासों की पहचान से शेरों की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- पारिस्थितिकी-विकास और जैव विविधता संरक्षण को संतुलित करने वाली यह परियोजना भविष्य में अन्य संरक्षण मॉडल के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है।

प्रश्न : हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट लायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं।

2. IUCN की लाल सूची में एशियाई शेरों को "गंभीर रूप से संकटग्रस्त" (Critically Endangered) श्रेणी में रखा गया है।

3. "LION @ 47: अमृतकाल विजन" दस्तावेज़, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3 सभी

Thank You